(वाद सं0.-356/19)

19.06.2020

प्रसंगाधीन मामला छपरा पुलिस लाइन के चाहरदीवारी निर्माण के पष्चात् स्थानीय मुहल्लावासियों का आवागमन का रास्ता बन्द किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, सारण, छपरा से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। जिलाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **"पुलिस लाईन की जमीन में से तीन फीट का रास्ता देने के लिए आदेश पारित किया गया** है जो अनुपालनार्थ कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुजफ्फरपुर प्रमण्डल व अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है। उनकी ओर से प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त करने का आयोग से अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में जिलाधिकारी, सारण, छपरा के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को जिलाधिकारी, सारण, छपरा से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति सलंग्न करते हुए आज पारित आदेष की प्रति के साथ सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक